



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-403/2022

दिनांक- 06-दिसम्बर-2022

## प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कंधरापुर अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में घटित हत्या की घटना में 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही, चारों अभियुक्त जेल में निरूद्ध

➡ दिनांक - 20.09.2022 को थाना कन्धरापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरिहरपुर में हत्या की घटित घटना के सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0-230/2022 धारा 302/323/504/506 /34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम अभियुक्त 1.सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव 2.काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा 3 .चन्दन यादव उर्फ बंगू पुत्र राम सागर यादव 4 .संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ मुकदमा उपरोक्त में चारों अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिसमें दिनांक 21.09.2022 को नामजद अभियुक्त मोनू यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था।

➡ दिनांक- 21.09.2022 को उपजिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार सदर तथा प्रभारी निरीक्षक कंधरापुर मय पुलिस फोर्स की उपस्थिति में मुकदमा उपरोक्त के मुख्य हत्या आरोपी सुशील यादव उर्फ गोल्डी का ग्राम हरिहरपुर, परगना-निजामाबाद तहसील- सदर, जनपद आजमगढ़ की पोखरी की जमीन पर बने बाउन्ड्रीवाल व मकान का ध्वस्तिकरण कराया गया।

➡ दिनांक - 23.09.2022 को नामजद मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुलिस मुठभेड़ में तथा सह अभियुक्त काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा निवासीगण हरीहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था।

➡ दिनांक- 28.09.2022 को मुकदमा उपरोक्त में चौथे अभियुक्त चन्दन यादव उर्फ पुत्र रामसागर निवासी हरिहरपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ हाजिर अदालत हुआ था।

➡ दिनांक 15.11.2022 को मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है। इस गिरोह के गैंग लीडर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए भादवि के अध्याय 16 व 22 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के अपराधी हैं। इस गैंग के कृत्यों से उत्पन्न स्थिति से जनमानस की सुरक्षा हेतु जनहित में इस गैंग लीडर व सदस्यों का स्वतंत्र रहना ठीक नहीं है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 05.12.2022 को गैंग लीडर 1.सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव 2.काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा 3 .चन्दन यादव उर्फ बंगू पुत्र राम सागर यादव 4 .संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0- 287/22 धारा 3(1)30 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना- गम्भीरपुर

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 26.11.2022 को वादिनी श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 जगदीश चौहान निवासी दयालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि कुछ दिन पूर्व मेरा लड़का गाँव की ही लड़की को लेकर चला गया और शादी कर लिया है इसी रंजिश को लेकर अभियुक्त द्वारा वादिनी की पति व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी उसी रंजिश को लेकर मेरे पति की मारकर हत्या कर दिये जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 393/22 धारा 302/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना मुझ थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचना व साक्ष्य संकलन के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया कि अभियुक्तों द्वारा मृतक को इतना प्रताडित कर दिये कि मृतक द्वारा उनके प्रताड़ना व धमकी से तंग आकर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्म हत्या कर लिया जिससे अभियोग उपरोक्त मे धारा 302 भादवि की घटोत्तरी कर धारा 306 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

2.गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक- 06.12.2022 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश चौहान पुत्र मुन्नी चौहान निवासी दयालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को दयालपुर मोड़ के पास से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 393/22 धारा 306/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सुरेश चौहान पुत्र मुन्नी चौहान निवासी दयालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द शुक्ला, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 विश्वामित्र थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

#### थाना- महाराजगंज

#### चोरी की घटना का अनावरण, चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 432/22 व मु0अ0सं0 456/22 धारा 380/411 भादवि के वादी के घर से चोरी करने की सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया है।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक-06.12.2022 को उ0नि0 सुबाषचन्द्र दुबे हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रिन्स पाठक पुत्र बेनिमाधव पाठक सा0 गोवर्धनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को परशुरामपुर पुलिस के पास से समय करीब 10.30 बजे पर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये 03 बोरी सामान बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 456/22 धारा 380/411 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 432/22 धारा 380/411 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त – प्रिन्स पाठक पुत्र बेनिमाधव पाठक सा0 गोवर्धनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी- अभियुक्त के पास से 03 बोरे में चोरी का सामान बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 सुबाषचन्द्र दुबे मय हमराह हे0का0 भीम प्रसाद का0 कलामुद्दीन अंसारी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

#### थाना- मुबारकपुर

इनामिया अभियुक्त को संरक्षण देने वाला पिता गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना- थाना क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम इब्राहीमपुर मे दिनांक 31.05.2019 को रात्री 23.30 बजे चाकू बाजी की घटना मे दर्ज मु0अ0सं0 138/2019 धारा 302/323/504/506 भादवि थाना मुबारकपुर के वांछित अभियुक्त शनि कुमार पुत्र शम्भूनाथ निवासी आरीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को जानकारी होने के उपरान्त भी संरक्षण देने, आर्थिक सहयोग पहुंचाकर उसके रहने खाने का प्रबन्ध करने और छिपाकर रखने पुलिस व न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के मामले मे धारा 216 भादवि मे संरक्षणकर्ता शम्भूनाथ पुत्र सुद्धीराम निवासी आरीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को निरीक्षक राकेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरण-दिनांक 06.12.2022 को निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शनि कुमार पुत्र शम्भूनाथ निवासी आरीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के घर पर दबिश के दौरान वांछित अभियुक्त शनि के बारे मे उसके पिता को जानकारी होने के उपरान्त भी संरक्षण देने, आर्थिक सहयोग पहुंचाकर उसके रहने खाने का प्रबन्ध करने और छिपाकर रखने पुलिस व न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के मामले मे धारा 216 भादवि मे संरक्षणकर्ता अभियुक्त के पिता शम्भूनाथ पुत्र सुद्धीराम निवासी आरीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को समय 11.10 बजे अभियुक्त के घर ग्राम आरीपुर से कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-शम्भूनाथ पुत्र सुद्धीराम निवासी आरीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 138/2019 धारा 216 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह का0 नागेन्द्र प्रसाद व का0 प्रेम प्रकाश व म0का0 शुभी पाण्डेय थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

#### थाना-अहरौला

अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05/12/2022 को उ0नि0 रमाशंकर दुबे मय हमराही पुलिस बल द्वारा अहरौला से माहुल जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अण्डरपास से चेकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्त राजन कुमार पुत्र राजू उम्र करीब 24 वर्ष सा0 वार्ड नं0 03 माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी की कार्यवाही उ0नि0 रमाशंकर दुबे द्वारा करने के पश्चात अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 418/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अहरौला आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- (1). मु0अ0सं0 88/2022 धारा 41/411/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

(2). मु0अ0सं0 418/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अहरौला आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-** अभियुक्त राजन कुमार पुत्र राजू उम्र करीब 24 वर्ष सा0 वार्ड नं0 03 माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-** एक अदद तमंचा 0.315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-** 30नि0 रमाशंकर दुबे, 30नि0 फूलन यादव, का0 रामसिंह यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.12.2022 को प्र0चौकी कस्बा मुबारकपुर 30नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा चिवटही मोड़ के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त खलील उर्फ खलीलुर्हमान पुत्र अनवार निवासी पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 385/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना व030नि0 श्री संजय कुमार तिवारी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:- खलील उर्फ खलीलुर्हमान पुत्र अनवार निवासी पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:- अभियुक्त खलील उर्फ खलीलुर्हमान पुत्र अनवार निवासी पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर की बरामदगी की गई।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 385/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 09/2004 धारा 457/380 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 0015/2004 धारा 394/307/302/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 630/2003 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 639/2008 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मुबारकपुर आजमगढ़
5. 140/2006 धारा 110 सीआरपीसी थाना मुबारकपुर आजमगढ़
6. 304/2007 धारा 110 सीआरपीसी थाना मुबारकपुर आजमगढ़
7. 421/2008 धारा 110 सीआरपीसी थाना मुबारकपुर आजमगढ़
8. 422/2009 धारा 110 सीआरपीसी थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. 30नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**थाना- जहानागंज**

**वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 30.11.22 को वादी मुकदमा श्री रवि प्रताप सिंह S/O विजेन्द्र सिंह ग्राम पोडरीझिल्लीपार पोस्ट बैदौली थाना खुखुन्दू जिला देवरिया उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिये कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 27.11.22 को अटल आवासीय विद्यालय गम्भीरवन से पावर फ्लोटर मशीन साइट जिसकी कीमत 65000/रुपये हैं को चोरी कर लिये है के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 471/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना 30नि0 श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान 02 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया जिसमें दिनांक- 01.12.2022 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। शेष एक अभियुक्त अमन राजभर पुत्र रामदुलारे राजभर निवासी ग्राम खल्लोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ फरार चल रहा था।

**गिरफ्तारी का विवरण:**

दिनांक- 06.12.2022 को 30नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमन राजभर पुत्र रामदुलारे राजभर निवासी ग्राम खल्लोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को सुम्भी से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग:-** मु0अ0सं0 471/22 धारा 379, 411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** अमन राजभर पुत्र रामदुलारे राजभर निवासी ग्राम खल्लोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**

- 1- उप निरीक्षक ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

30नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह दिनांक 05.12.2022 को मय फोर्स द्वारा मधनापार मोड़ तिराहे चेकिंग के दौरान वहां खड़े व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम जावेद पुत्र रियाजुल नि0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया। जिसकी जामा तलाशी में एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस.315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को समय करीब 19.20 PM बजे विधि अनुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जावेद पुत्र रियाजुल नि0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी-

अवैध 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 273/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 354/2022 धारा 379/411/427/34 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

मु0अ0सं0 273/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

### थाना दीदारगंज

#### दहेज हत्या में अभियुक्ता गिरफ्तार

**पूर्व का विवरण-** दि0 25.11.2022 को वादी श्री राकेश पाठक S/O सीताराम पाठक निवासी ग्रा0व पो0 नसिरुद्दीनपुर त0 सदर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के स्वयं की बहन चन्दन पाठक उम्र 25 वर्ष जिसकी शादी ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ़ में राहुल पाण्डेय के साथ हुई थी। पति व ससुराल के लोगो द्वारा दहेज की मांग को लेकर आवेदक की बहन चन्दन पाठक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करना, दहेज न मिलने पर आवेदक की बहन चन्दन पाठक को दिनांक 24.11.2022को समय 18.30बजे शाम में हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 290/22 धारा 498A,304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.राहुल पाण्डेय (पति)पुत्र स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 2. इन्दू पाण्डेय(सास) पत्नी स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 3.सुन्दरी उर्फ प्रतिमा(ननद) पुत्री स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 4. व जेठान नाम अज्ञात साकिनान ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत है जिसमें अभियुक्ता सुन्दरी उर्फ प्रतिमा पाण्डेय फरार चल रही थी।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

दि0 06.12.2022 को उ0नि0 मय हमराहियान द्वारा मुकमदा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्ता सुन्दरी उर्फ प्रतिमा पाण्डेय पत्नी गोपाल पाण्डेय ग्राम चन्द्रभानपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ को ग्राम गोसडी से समय करीब 06.35 बजे म0का0 पूजा देवी द्वारा हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 290/22 धारा 498A,304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त** सुन्दरी उर्फ प्रतिमा पाण्डेय पत्नी गोपाल पाण्डेय ग्राम चन्द्रभानपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. उ0नि0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- रौनापार

#### अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 06.12.2022 को उ0नि0 श्री शैलेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान थाना रौनापार क्षेत्र ग्राम करखिया मोड़ तिराहे से पहले वहद ग्राम चालाकपुर से समय करीब 5.50 बजे अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र स्व0 सुधई निवासी रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 402/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 402/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 55/22 धारा 3/5/8/25 आयुध अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 186/20 धारा 25/3/5 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 55/18 धारा 25/3/5 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1-राजेश कुमार पुत्र स्व0 सुधई निवासी रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष

**बरामदगी-** एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर अभियुक्त के पास से बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री शैलेश कुमार मय हमराह यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़